

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 619 दिनांक:- 06.06.19

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- हजारिबाग जिला अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखण्ड के मौजा-नावाडीह में 132/33 के०भी ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.048 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारिबाग का पत्रांक 1345 दिनांक 27.05.2019

महाशय,

प्रांसागिक पत्र की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना 132/33 K.V ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु कुल 4.048 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारिबाग के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

- यह परियोजना हजारिबाग पूर्वी वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :-

क्र० सं०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे० में	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा हे० में	कुल रकबा हे० में	वनस्पति घनत्व
1	हजारिबाग पूर्वी	शून्य	4.048	4.048	0.4

- प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन दर्ज है। अनु०-17
- प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

हजारिबाग पूर्वी वन प्रमंडल

क्र० सं०	Block	District	Mauza	Thana No	Khata No.	Plot No.	Area (He)	Typa of Land
1.	Bishnugarh	Hazaribag	Nawadih	201	25	214	4.04	गैर मजरूआ खास जंगल झाड़ी (हे)

- प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारिबाग पूर्वी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारिबाग का मंतव्य दर्ज है। साथ ही संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारिबाग पूर्वी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
अनु०-19,20,21, एवं 22

- पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।

- 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। अनु०-2

7. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ग्रिड सब-स्टेशन का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है। अनु0-1
8. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है। अनु0-15
9. प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 59 है।
10. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है अनु0-5
11. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है। अनु0-12
12. इस परियोजना में पूर्ण जंगल-झाड़ भूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 1142/क0 दिनांक 27.04.2017 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है। अनु0-4
13. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक 1142 दिनांक 24.08.2018 द्वारा प्राप्त है। साथ ही F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। अनु0-3
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। अनु0-11
15. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक 11-9/98 FC दिनांक 16.06.2011 के द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में यह स्पष्ट किया गया है। कि *"compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted in accordance with the said general approval shall not be insisted upon"*
16. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
17. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।
18. वन प्रमंडल पदाधिकारी हजारीबाग पूर्वी ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का **violation** नहीं किया गया है।
19. प्रस्तावित वन भूमि हजारीबाग जिला में अवस्थित है। भारत सरकार के पत्रांक F.No. 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के तहत यह जिला L.W.E. के रूप में संसूचित है।
20. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा लोकहित में अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।
21. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदुपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की दो मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 4.048 हे0 जंगल-झाड़ी वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव 2 प्रतियों में।

विश्वासभाजन

11.06.2019
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

R. S.
2.6.19

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*CONSTRUCTION OF 132/33 KV G/S/S UNDER TRANSMISSION
CIRCLE, HAZARIBAGH IN VILLAGE NAWADIH,
BISHNUGARH, 4.048_ha.*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 4.048 ha. Forest land.

Date :- 2.6.19

Place :- Ranchi.

Signature

Ug... 2.6.19

(SHASHI NANDKEOLYAR)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief conservator of Forests
cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)